न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मि0 नं0 931/दावा/2019
दायरा दि0 26/08/2019

उनवान

फूलचंद पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेड़ी तह0 खानपुर
— वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेडी तह0 खानपुर
2. प्रहलाद पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेडी तह0 खानपुर
3. देवलाल पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेड़ी तह0 खानपुर
4. चतुर्भुज पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेड़ी तह0 खानपुर
5. रमेश पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेड़ी तह0 खानपुर
6. शाखा प्रबन्धक महो0 बड़ौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तह0 खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट 1955 सहपठित धारा 139 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थित :— श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता — वादी

निर्णय

दिनांक 28/11/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने न्यायालय हाजा में एक वाद धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट 1955 सहपठित धारा 139 एल0आर0एक्ट 1956 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बैसार की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 369 की 2 किता रकबा 9.16 बीघा एवं ग्राम पोटूखेड़ी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 108 की ख0नं0 20/445 की 5.00 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी में वादी का नाम फूलाराम पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम फूलचन्द है। रामगोपाल उर्फ गोपाल के फूलाराम नाम को कोई पुत्र नहीं है। वादी को बचपन में फूलाराम के नाम से पुकारते व कहते थे। वहीं ग्राम पोटूखेड़ी में फूलाराम पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल जाति बलाई नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, न कभी रहा है। स्कूल सर्टीफिकेट, परिवार राशनकार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल दर्ज है। वादी के नाम में त्रुटी होने से वादी को आराजी का अंतरण करने, विकास कार्य करवाने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

सरकारी संस्था से ऋण लेने व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आती है। अतः वादी का नाम उक्त दोनों खातों में दुरुस्त किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 6, 7 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वहीं प्रति0नं0 1 लगा0 5 ने जर्ये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा निम्न प्रकार है :– यह कि आराजी खतौनी सं0 नयी 369 पुरानी 344 खसरा नं0 40 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नं0 41 रकबा 0.14 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 9.16 बीघा वाके ग्राम बैसार तहसील खानपुर एवं आराजी खतौनी संख्या नयी 108 पुरानी 105 खसरा नम्बर 20/445 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम पोटूखेड़ी तहसील खानपुर में दर्ज रेकार्ड में वादी का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचन्द दर्ज किया जावे जो सही एवं सत्य है। यह राजीनामा हमने सहमति से लिखकर दिया है जो सही है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावे। " प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा इसे सही एवं सत्य होना एवं राजी खुशी से आलेखित कराया जाना स्वीकार करने पर राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में वादी फूलचन्द के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp2 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम बैसार की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 369 की 2 किता रकबा 9.16 बीघा आराजी रामचरण, प्रहलाद, देवलाल, चतुर्भुज फूलाराम, रमेश पुत्र रामगोपाल हि0व0 कौम बलाई सा0दे0 के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम पोटूखेड़ी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 108 की ख0नं0 20/445 की 5.00 बीघा आराजी रामचरण, प्रहलाद, देवलाल, चतुर्भुज फूलाराम, रमेश पुत्र गोपाल कौम बलाई के खाते दर्ज है। वादी का वाद है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम फूलाराम दर्ज है, जबकि वादी का सही नाम फूलचन्द पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड नं0 940358644994, ग्राम पंचायत बैसार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड नं0 03062/329 में फूलचन्द पुत्र रामगोपाल दर्ज है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में प्रति0 1 लगा0 5 जो वादी के भाई हैं, ने स्वीकार किया है कि वादी का सही नाम फूलचन्द है। वादी अपने बयानों में भी इस तथ्य की ताईद करता है। चूँकि यहां पक्षकारान के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है। ऐसे में हम प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर इस वाद को निर्णित करना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बैसार की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 369 की 2 किता रकबा 9.16 बीघा एवं ग्राम पोटूखेड़ी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 108 की ख0नं0 20/445 की 5.00 बीघा आराजी में वादी का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलाराम उर्फ फूलचन्द पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल जाति बलाई निवासी पोटूखेड़ी दुरुस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

रहेगा। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.12.09 12:04:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: